

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 32/2026

GCMS No. : 2026/66

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जरिये सरकार सुरेशचंद शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		गोविन्द खारवाल पुत्र श्री जगदीश खारवाल जाति खारवाल, निवासी नया बस स्टेण्ड धर्मकाटा वाली गली पाली मैसर्स ओम डेयरी नाडी मोहल्ला पाली फर्म मालिक

“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51”


उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :-

दिनांक: 23.03.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है एवं राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक प.5(01)चिस्वा/गुप-3/2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के अधिकृत किया गया एवं श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ./खा.सु एवं औ.नि./संस्था/2025/101/दिनांक 15.01.2025 के अनुसार प्रार्थी का कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली आवंटित किया गया है एवं पाली जिले में आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र प्रार्थी के कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की हैसियत से दिनांक 17.04.2025 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स ओम डेयरी नाडी मोहल्ला पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से उसका परिचय

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली

पुछने पर उसने अपना नाम गोविन्द खारवाल पुत्र जगदीश खारवाला बताया एवं स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। फर्म का निरीक्षण के दौरान डेयरी में रखे स्टील ड्रम में 25-30 किलो घी रखा हुआ था।। जिसे अप्रार्थी आमजन को विक्रय कर रहा था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने घी लूज का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैंने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में साथ आये ओम प्रकाश कम्प्युटर ऑपरेटर कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की घी लूज का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हूं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में घी लूज का नमुना वास्ते जांच हेतु 02 किलोग्राम क्रय कर उसकी कीमत 1200/- रुपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा घी लूज को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-2871 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमूनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ले में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म-6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया घी का नमुना संख्या आर-2871 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/392/एक्ट /2025/322 दिनांक 30.04.2025 के अनुसार Un-Safe (अनसेफ) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाकर सूचित किया कि वह उक्त नमुने की जांच पुनः करवाना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। जिस पर अप्रार्थी द्वारा उक्त नमुना घी लूज की पुनः जांच करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने पर उक्त नमुना घी लूज रेफरेल खाद्य प्रयोगशाला मैसुर भिजवाया गया जहां से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्युसीएल/एफएसएसए/930एफ /2025 दिनांक 29.08.2025 के अनुसार उक्त नमुना घी लूज अवमानक पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) घी लूज का उत्पादन/विक्रय/ विनिमय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की



30  
पतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली

उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित होकर कथन किया कि हमारी फर्म में घी व अन्य खाद्य पदार्थ का उत्पादन खाद्य सुरक्षा मानको को ध्यान में रख कर किया जाता है। उक्त खाद्य पदार्थ घी बनाने में भी नियमों एवं स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है एवं भविष्य में भी पूर्ण सावधानी बरती जायेगी। अतः आप मुझ प्रार्थी के प्रति नम्र रूख अपनाते हुए प्रकरण ड्रॉप कराने का श्रम करावें।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.04.2025 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स ओम डेयरी नाडी मोहल्ला पाली जिला पाली से लिया गया घी लूज का नमूना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-2871 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंगन प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमूने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमूने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये घी का नमूना कोड संख्या आर-2871 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया घी का नमूना Unsafe (अनसेफ) पाया गया, जिसकी प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवायी गयी। जिसके संबंध में अप्रार्थी ने उक्त नमूना घी लूज की पुनः जांच करवाने के लिए आवेदन करने पर नियमानुसार नमूना संख्या 2871 घी को रेफरेल खाद्य प्रयोगशाला मैसुर भिजवाया गया जहां से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त नमूना घी लूज अवमानक की श्रेणी में पाया गया। प्रार्थी ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की घी लूज का नमूना सेम्पल लेते समय नियमानुसार खाद्य सुरक्षा नियमों के मानको को अपनाते हुए सेम्पल लिया एवं खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर एवं मैसुर भिजवाया गया जिसमें किसी प्रकार के नियमों की अवहेलना नहीं पायी गयी। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी ने अवमानक स्तर का घी लूज का उत्पादन/वितरण/विनिमय किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लंघन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) घी लूज का उत्पादन/वितरण/विनिमय किये जाने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत




अतिरिक्त जिला प्रिजिस्ट्रेट  
पाली

अप्रार्थी पर 50,000/-रूपये अक्षरे पच्चास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करे। निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण से 15 दिवस में करवाकर पालना रिपोर्ट एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डॉ बजरंग सिंह)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली